



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271188  
CG-DL-E-23032026-271188

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 84]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

(मामला संख्या: -एडी(ओआई)-07/2026)

विषय: चीन जन.गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

- फा.सं. 6/07/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा है) ने चीन जन.गण. और रूस (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "पीटीएफई" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिस आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. और रूस से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई) रेजिन है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में रेजिन रूप में पीटीएफई शामिल है। पीटीएफई का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रासायनिक उद्योगों में इसकी अनूठी विशेषताओं जैसे रासायनिक निष्क्रियता, विद्युत और थर्मल इन्सुलेशन, घर्षण के कम गुणांक, गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील, विकिरण प्रतिरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर और व्यापक आवृत्ति रेंज पर उत्कृष्ट विद्युत गुणों के लिए किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 39 और उप-शीर्ष 39046100 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
5. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है, जिन पर चीन जन.गण. और रूस से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पिछली जांच में मामला सं. एडी (ओआई)-19/2024 में विचार किया गया था, जिसके लिए अंतिम जांच परिणाम 19 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे।

क्र.सं.	मापदंड	आधार	पूरा नाम
i.	ए-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	एक्यूएस डिस्पर्शन पीटीएफई
ii.	सी-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	फिल्ड कंपाउंड पीटीएफई
iii.	डी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	फाइन पाउडर पीटीएफई
iv.	पीटीएफई	पीटीएफई	ग्रेनुलर पीटीएफई (सस्पेंशन ग्रेड)
v.	पीटी-पीटीएफई	पीटी-पीटीएफई	ग्रेनुलर मोडिफाइड पीटीएफई (मोल्टिंग/लो फ्लो वर्जिन/फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड)

6. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

**ख. समान वस्तु**

7. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और चीन जन.गण. और रूस से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को चीन जन.गण. और रूस से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

**ग. घरेलू उद्योग और आधार**

8. यह आवेदन-पत्र गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध सामानों का केवल एक अन्य उत्पादक एसआरएफ लिमिटेड है, जिसने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया और आवेदन-पत्र का समर्थन किया है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य उत्पादक हुआ करता था, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, जिसकी विचाराधीन उत्पाद विनिर्मित करने की सीमित क्षमता थी, हालांकि उसने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया था। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध है।

9. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखा जाता है कि आवेदक द्वारा उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख अनुपात" है। इस प्रकार, आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और रूस हैं।

**ड. जांच की अवधि**

11. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में अक्टूबर 2024 - सितंबर 2025 (12 माह) की अवधि का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। जांच के लिए क्षति की अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**च. कथित पाटन का आधार**

**क) चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

12. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और इस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और यह दर्शाने करने के लिए चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से भारत में आयात पर विचार किया है। आवेदक के दावे की जांच सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान की जा सकती है। जांच शुरुआत करने के प्रयोजन से, सामान्य मूल्य, भारत में बिक्री और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें और विधिवत् प्रमाणित दावे करें।

**ख) रूस के लिए सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने दावा किया है कि वे रूस के घरेलू बाजार में या किसी प्रकाशित स्रोत से उत्पाद की कीमत का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। आवेदक ने निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र से या उपयुक्त तीसरे देश में निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, आवेदक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए ब्राजील को रूस के निर्यात पर विचार किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद जांच के दौरान आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जा सकती है। जांच की शुरुआत के लिए, बिक्री और प्रशासनिक खर्चों और लाभों के लिए विधिवत् समायोजित उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर रूस के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

**ग) निर्यात कीमत**

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह खर्च, अंतर्देशीय भाड़ा, सहायक पैकिंग, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

**घ) पाटन मार्जिन**

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क**

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण ताकि घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा जांच की अवधि में कुछ गिराट के साथ क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से बढ़ी है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव डाल रहे हैं। आवेदक ने दावा किया कि संबद्ध सामानों की मौजूदगी के कारण उनके निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद लाभ के संबंध में गिरावट आई है। आवेदक को वित्तीय हानियां, नकद हानियां और जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा और कीमत मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं।
18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

19. आवेदक द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का पाटन सिद्ध करने, तथाकथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क और घरेलू उद्योग को के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग क्षति समाप्त करने के पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

**झ. प्रक्रिया**

20. वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तदनुसूची मामला आईडी एडी/ओई/008/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकार को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और संबद्ध सामानों से संबंधित ज्ञात भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट [www.dgtr.gov](http://www.dgtr.gov) को नियमित रूप से देखते रहें।

**ट. समय सीमा**

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/ओआई/008/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) उस तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तारीख को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के

नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर दायर किया गया था। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर करें।
27. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
28. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिन से अधिक के और अधिक समय विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
29. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
32. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।
35. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
38. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

39. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

**ढ. असहयोग**

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2026

**(Case No. AD(OI) -07 /2026)**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Polytetrafluoroethylene (PTFE)" originating in or exported from China PR and Russia.**

- F. No. 6/07/2026-DGTR:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), M/s. Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Polytetrafluoroethylene (PTFE)" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC" or "PTFE"), originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as "subject countries").
- The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR and Russia are causing material injury to the domestic industry and has requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

- The product under consideration in the present investigation is Polytetrafluoroethylene (PTFE) resin. The scope of product under consideration includes PTFE in resin form. PTFE is primarily used in the electrical, electronic, mechanical, and chemical industries for its unique characteristics such as chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction, and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

4. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 39046100. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
5. The applicant has proposed the following product control numbers (PCNs), which were considered in the last investigation concerning the product under consideration from China PR and Russia, vide Case No. AD (OI)-19/2024 for which final findings were issued on 19<sup>th</sup> September 2025.

S.N.	Parameter	Base	Full Name
i.	A-PTFE	A-PTFE	Aqueous Dispersion PTFE
ii.	C-PTFE	C-PTFE	Filled Compound PTFE
iii.	D-PTFE	D-PTFE	Fine Powder PTFE
iv.	PTFE	PTFE	Granular PTFE (Suspension Grade)
v.	PT-PTFE	PT-PTFE	Granular Modified PTFE (Molding/Low Flow Virgin/Free Flow Virgin Grades)

6. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the scope of PUC/PCN methodology, if any, within 15 days of date of initiation of this investigation.

#### **B. LIKE ARTICLE**

7. The applicant has stated that there is no difference in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from China PR and Russia are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as "like article" to the product under consideration produced and imported from China PR and Russia.

#### **C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

8. The application has been filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. The applicant has submitted that there is only one other producer of the subject goods in India, SRF Ltd., which started production during the injury period and has supported the application. The applicant has also submitted that there used to be another producer of the product under consideration, Hindustan Fluorocarbons Ltd., which had limited capacity to manufacture the PUC, however stopped producing the subject goods. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject countries nor is it related to any exporter or importer of subject goods.
9. Based on the information provided, it is seen that the production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production. Thus, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Rules.

#### **D. SUBJECT COUNTRIES**

10. The subject countries for the present investigation are China PR and Russia.

#### **E. PERIOD OF INVESTIGATION**

11. The applicant has proposed the period October 2024 – September 2025 (12 months) as the period of investigation (POI). The Authority has considered the period proposed by the applicant for the purpose of the present investigation. The injury period for the investigation will cover the period 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

#### **F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

##### **a) Normal Value for China PR**

12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
13. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available.

The applicant has considered the imports into India from the EU for the purpose of determining normal value. The claim of the Applicant may further be examined during the course of the investigation after receiving comments from all interested parties. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on the price paid or payable in India with reasonable adjustments for selling and administrative expenses and profit in India. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value.

**b) Normal Value for Russia**

14. The applicant has claimed that they were unable to obtain any evidence of the price of the product in the domestic market of Russia or from any published sources. The applicant has considered the comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or to an appropriate third country. Accordingly, the applicant considered Russia's exports to Brazil for determining the normal value. The submissions by the Applicant may further be examined during the course of the investigation after receiving comments from all the interested parties. For the purpose of initiation, the normal value has been determined for Russia considering based on estimated cost of production duly adjusted for selling and administrative expenses and profits.

**c) Export Price**

15. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, secondary packing, credit cost, and inventory carrying cost.

**d) Dumping Margin**

16. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. This *prima facie* establishes that the product from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

**G. INJURY AND CAUSAL LINK**

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries. The volume of subject goods from subject countries has increased over the injury period in absolute as well as relative terms with some decline in the POI. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and are having depressing effect on the prices of the domestic industry. The applicant claimed that due to presence of subject goods, their performance has deteriorated in respect of production, sales, profitability, ROI, cash profits. The applicant is facing financial losses, cash losses and negative return in investment in POI. The growth of domestic industry has been adversely impacted in terms of volume and price parameters.
18. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries.

**H. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

19. On the basis of the application filed by the applicant in the form and manner prescribed, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an antidumping investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**I. PROCEDURE**

20. Principles, as given in Rule 6 of the AD Rules, shall be followed for the present investigation.

**J. SUBMISSION OF INFORMATION**

21. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/OI/008/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed

separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below.

23. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information

#### **K. TIME LIMIT**

25. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID- AD/OI/008/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
27. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.
28. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
29. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

#### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS**

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
32. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance

of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of submission of the non-confidential version of the documents by other interested parties.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

**M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

39. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**N. NON-COOPERATION**

40. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority